"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (51).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 8 के उप-नियम (5) में शब्द एवं वाक्य "आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर" के पश्चात् शब्दों "अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर" जोड़ा जाय.

(2) नियम 8 के उप-नियम (10) में शब्द एवं वाक्य "आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर" के पश्चात् शब्दों "अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर" जोड़ा जाय.

(3) नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (क) में शब्द एवं वाक्य "व्यापारी प्रारूप 17 में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से" के पश्चात् शब्द "बिना अंकीय हस्ताक्षर अथवा" जोड़ा जाय.

(4) नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में शब्द एवं वाक्य "व्यापारी प्रारूप 18 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से" के पश्चात् शब्द "बिना अंकीय हस्ताक्षर अथवा" जोड़ा जाय.

(5) नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(ग) प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी जिनका सकल वार्षिक विक्रय चालीस लाख रुपये से अधिक हो, द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी."

(6) वर्तमान प्रचलित नियम 82 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय :—

1. वर्तमान नियम को खंड (क) संख्यांकन किया जाय.

2. खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाय :—

"(ख) आयुक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनियों द्वारा नियम 8 के उप-नियम (5) एवं उप-नियम 10 तथा नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (क) एवं (ख) के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन करने वाले यथास्थिति व्यापारी पर पांच हजार रुपये से अनाधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा."

2. यह संशोधन दिनांक 01-07-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (51), दिनांक 25-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 25th June 2010

NOTIFICATION

No. F-10/32/2010/CT/V (51).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) In sub-rule (5) of rule 8, after the words and sentence "A dealer may file statement in form 6 electronically" the words "without digital signature or" shall be added.

(2) In sub-rule (10) of rule 8, after the words and sentence "A dealer may file statement in form 7 electronically" the words "without digital signature or" shall be added.

(3) In clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, after the words and sentence "A dealer may file return in form 17 electronically" the words "without digital signature or" shall be added.

(4) In clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, after the words and sentence "A dealer may file statement in form 18 electronically" the words "without digital signature or" shall be added.

(5) After clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the following clause shall be inserted, namely :—
"(c) A dealer, registered under the State Act, whose annual gross turnover exceeds rupees forty lac, shall compulsorily file the return electronically."

(6) In existing rule 82, the following rule shall be substituted :—
1. Present rule be numbered as clause (a).

2. After clause (a) following clause shall be added :—
"(b) The Commissioner may impose a penalty not exceeding rupees five thousand on a dealer, formed a company, registered under the Companies Act, 1956, as the case may be, committing a breach of sub-rule (5) and sub-rule (10) of rule 8 and clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 20."

2. This amendment shall come into force with effect from 01-07-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (52).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के अंत के शब्द एवं वाक्य "व्यापारी द्वारा प्रारूप-सात में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" का लोप किया जाए.

(2) नियम 8 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्न उपनियम (1-क) जोड़ा जाय :—
"(1-क) (i) व्यापारी प्रारूप-सात में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है.

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनियों द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी.

(iii) प्रांतीय अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यवसायी जिनका सकल वार्षिक विक्रय चालीस लाख रुपये से अधिक हो, द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी."

2. यह संशोधन दिनांक 01-07-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (52), दिनांक 25-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 25th June 2010

NOTIFICATION

No. F-10/32/2010/CT/V (52).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam 1976, namely :—

AMENDMENT

(1) In the last Para of the proviso of Sub-rule (1) of rule 8, the words and sentences "A dealer may file return in form VII electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner. A company formed and registered under the Companies Act, 1956, shall be compulsorily file the return electronically." shall be omitted.

(2) After Sub-rule (1) of rule 8, the following sub-rule (1-A) shall be added :—

"(1-A) (a) A dealer may file return in Form VII electronically without digital signature or affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner.

(b) A company formed and registered under the Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically.

(c) A dealer registered under the State Act, whose annual gross turnover exceeds rupees forty lac, shall compulsorily file the return electronically".

2. This amendment shall come into force with effect from 01-07-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (53).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में

निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

(1) नियम 7-क के उपनियम (1) में शब्द एवं वाक्य "व्यापारी प्रारूप-पांच में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" का लोप किया जाए.

(2) नियम 7-क के उपनियम (1) के पश्चात् निम्न क्लॉज जोड़ा जाय :—

"(क) व्यापारी प्रारूप-पांच में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है.

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनियों द्वारा विवरणी प्रारूप-पांच में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी.

(ग) प्रांतीय अधिनियम के तहत पंजीयत व्यवसायी, जिनका सकल वार्षिक विक्रय चालीस लाख रुपये से अधिक हो, द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी

(3) नियम 7-क के उपनियम (2) में शब्द "आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर" के पश्चात् शब्दों "अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर" जोड़ा जाय.

2. यह संशोधन दिनांक 01-07-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2010/वाक/पांच (53), दिनांक 25-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 25th June 2010

NOTIFICATION

No. F-10/32/2010/CT/V (53).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

AMENDMENT

(1) Sub-rule (1) of rule 7-A, the word and sentence "a dealer may file return in Form V electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner. A company formed and registered under the Companies Act, 1956, shall compulsorily file the return electronically" shall be omitted.

(2) After Sub-rule (1) of rule 7-A, the following clause shall be added :—

"(a) A dealer may file return in Form V electronically without digital signature or affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner.

(b) A company formed and registered under the Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return in Form V electronically.

(c) A dealer registered under the State Act, whose annual gross turnover exceeds rupees forty lac, shall compulsorily file return electronically."

(3) In sub-rule (2) of rule 7-A, after the words "A dealer may file list in form VI electronically" the words "without digital signature or" shall be added.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-07-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.